# राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओटीएस केम्पस के पास, झालाना लिंक रोड,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (फोन एवं फैक्स नं. 0141 2719136)


क्रमांक पं. 6 ( )/रा.सू.आ./संस्था/2020/ 779-783 दिनांक 15.06.2020

## कार्यालय आदेश

आज दिनांक 15.06.2020 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में बैठक आयोजित की गई जिसमें माननीय सूचना आयुक्त द्वितीय व तृतीय, सचिव एवं रजिस्ट्रार उपस्थित रहे। बैठक में कारोना वैश्विक महामारी के हालात में राजस्थान राज्य सूचना आयोग में नियमित सुनवाई सुचारू करने के बारे में चर्चा की गई। समस्त पहलुओं पर चर्चा में सामने आया कि कोरोना महामारी के हालात अभी पूर्णतः सामान्य नही हैं। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के साधनों का संचालन नियमित एवं सामान्य नही हुआ हैं जिससे आयोग में प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले अपीलार्थी व आम नागरिकों का आवगमन सुलभ नही है। साथ ही महामारी का खतरा भी बरकरार हैं। ऐसी स्थिति में निर्णय किया गया कि आगामी 30 जून 2020 तक आयोग में नियमित सुनवाई करना उचित नही होगा। **अतः 30 जून 2020 तक अपीलों की सुनवाई स्थगित की जाती है।**

जीवन व स्वतन्त्रता से जुडे अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई पूर्ववत व्यवस्था से जारी रखी जाएगी। साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि आयोग में दर्ज की जाने वाली नई अपीलों व परिवादों में मर्यादा अवधि (Limitation) में कोरोना लॉक डाउन अवधि क्षम्य (Exempt) होगी।

-Sd-

(राधेप्रताप सिंह)
सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचंना आयुक्त महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय सूचना आयुक्त महोदय–द्वितीय/तृतीय
3. प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आयोग की वेबसाईट पर तुरन्त अपलोड करें।
4. रक्षित पत्रावली

सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर